Sem III Paper IV

06.02.2025

~~M.A.~~ Paper IV

धर्मनिरपेक्षता का अर्थ और परिभाषा :→

सेकुलरिज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज जैकब हॉलीओक ने 19 वीं शताब्दी में किया था।

धर्म निरपेक्षता → (Secularism) सेकुलरिज्म यह शब्द लैटिन भाषा 'Seculum' से लिया गया है जिसका अर्थ है- "यह वर्तमान स्थिति हालांकि मैं इस शब्द का प्रयोग सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों की प्रणाली के सन्दर्भ में किया था। उसकी इस मूल्य प्रणाली के आधार पर निम्नलिखित सिद्धांत थे।

(i) तार्किक नैतिकता पर बल
(ii) मनुष्य की भौतिक तथा सांस्कृतिक उन्नति पर प्राथमिक बल।
(iii) उसके द्वारा सत्य की खोज पर बल
(iv) वर्तमान युग या विश्व की उन्नति से संबंध।

वस्तुतः भारत एक बहु धर्मावलम्बी, बहुभाषी, एवं बहु-संस्कृति वाला देश है। लोकतंत्र यहां की शासन प्रणाली का आधार है। लोकतंत्रीय शासन तभी सफल हो सकता है जब उसके अंतर्गत सभी नागरिकों के प्रति समान व्यवहार होता है, चाहे वे किसी भी धर्म में आस्था क्यों न रखते हों, अर्थात "सर्वधर्म समभाव" लोकतंत्र का आदर्श होना चाहिए।

धर्मनिरपेक्षता की कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित:→

(1) डॉ॰ राधाकृष्णन के अनुसार :- "मैं अधिकार पूर्वक कहना चाहता हूँ कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ नास्तिकवाद नहीं है। इसका अर्थ है, हम सभी धर्मों और मतों का आदर करें, हमारा राज्य किसी धर्म से सम्बंधित नहीं है।"

(ii) ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार → "धर्मनिरपेक्षता वह सिद्धांत है, जिसमें मानवता के हित के संदर्भ में नैतिकता को आधारित किया जाता है। इसमें ईश्वर से संबंधित विश्वासों को अलग रखा गया है। यह सिद्धांत व्यक्ति के वर्तमान जीवन पर अधिक बल देता है।"

(iii) महात्मा गाँधी के अनुसार → "हम सभी धर्मों एवं विश्वासों को समान आदर प्रदान करते हैं, अर्थात हम 'सर्वधर्म समभाव' में आस्था रखते हैं।"

(iv) विल्बर्ट मूर के अनुसार :→ "मानवीय कार्यों में धर्म की भूमिका के संबंध में तार्किक भाव द्वारा स्थान ग्रहण करना अर्थात धार्मिक विश्वासों तथा क्रियाओं का स्थान गैर-धार्मिक विश्वासों और क्रियाओं द्वारा ले लेना ही धर्मनिरपेक्षता है।"

इस प्रकार उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि धर्मनिरपेक्षता एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें मानव व्यवहार की व्याख्या धर्म के आधार पर नहीं वरन् तार्किक आधार पर की जाती है, तथा घटनाओं को कार्य-कारण संबंध के आधार पर समझा जाता है। इसके साथ ही भावात्मक तथा आत्मगत का स्थान वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठता ले लेती है।

Indian Secularism
भारतीय धर्मनिरपेक्षता

धर्मनिरपेक्षता का यह आदर्श पश्चिमी समाजों द्वारा अपनाया जाता है जहाँ सरकार धर्म से पूरी तरह अलग होती है। धर्मनिरपेक्षता का भारतीय अर्थ 'सर्वधर्म समभाव' से संबंधित है, जिसका अर्थ है सभी धर्मों का समान सम्मान। विवेकानंद और महात्मा गाँधी जैसे व्यक्तियों द्वारा अपनाए गए और प्रचारित इस अवधारणा को "सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता" कहा जाता है।

S	M	T	W	T	F	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

जो भारतीय संस्कृति के प्रमुख लोकाचार को दर्शाता है। भारत का कोई आधिकारिक राज्य धर्म नहीं है। हालांकि, अलग-अलग व्यक्तिगत कानून - विवाह, तलाक, विरासत, गुजारा भत्ता जैसे मामलों पर एक व्यक्ति के धर्म के साथ भिन्न होता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता अपने आप में एक अंत नहीं है बल्कि धार्मिक बहुलता को संबोधित करने का एक साधन है और विभिन्न धर्मों के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को प्राप्त करने की मांग करता है।

धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में संवैधानिक दृष्टिकोण :-

धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा भारतीय संविधान के निर्माण से ही है जिसका प्रमाण संविधान के भाग-3 में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 25-28) से स्पष्ट होता है। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा पुनः धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित करते हुए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'पंथ निरपेक्षता' शब्द को सम्मिलित किया गया है। पंथ निरपेक्षता का तात्पर्य है कि भारत सरकार धर्म संबंधी मामलों में निरपेक्ष रहेगी धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव न करके प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना ही पंथनिरपेक्ष राज्य का उत्तरदायित्व होगा। अतः भारत का संविधान किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है।